



निविदा फार्म-विपणन अनुभाग(तकनीकी बोली)
निविदा फार्म संख्या-.....निविदा प्रपत्र मूल्य 1000.00 समस्त कर सहित



ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा (ऊधमसिंहनगर)

ऑचल मिल्क बूथ एवं मिल्क कैफे हेतु

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ-साफ अंकित करें।)

1. ऑचल मिल्क बूथ/कैफे का नाम/स्थान:-
2. निविदादाता का नाम :-
3. पिता/पति का नाम :-
4. स्थायी पता :-
.....
5. पत्र व्यवहार का पता :-
.....
6. दूरभाष संख्या :-
7. आधार कार्ड संख्या -
8. जी०एस०टी० नम्बर-.....
9. पेन कार्ड नम्बर-.....
- 10-जमा अर्नेस्ट मनी विवरण-बैंक का नाम
ड्राफ्ट संख्या धनराशि दिनांक
नकद जमा धनराशि-..... रसीद संख्यादिनांक
11. अदेयता प्रमाण-(हाँ/नहीं)-.....
12. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ बिक्री कार्य का अनुभव- हाँ/नहीं
(संलग्नक-आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्तें।)

फोटो

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक

पूरा नाम:-

मोबाईल नम्बर-.....



निविदा फार्म-विपणन अनुभाग (वित्तिय बोली)



फार्म संख्या

ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा (ऊधमसिंहनगर)
ऑचल मिल्क बूथ एवं मिल्क कैफ हेतु

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ-साफ अंकित करें।)

1. मिल्क बूथ/कैफे का नाम/स्थान :-
2. निविदादाता का नाम :-
4. पिता/पति का नाम :-
5. स्थायी पता :-

6. (अ)ऑचल मिल्क बूथ/कैफे के किराये की दरें प्रतिमाह (अंको व शब्दों में):-

अंकों में :- ₹..... शब्दों में :-

संलग्नक-आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्तें।

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक

पूरा नाम:-

मोबाईल नम्बर-.....

संस्था आंचल मिल्क बूथ / कैफे का विवरण

क्र 0 सं0	ऑचल मिल्क बूथ विवरण	स्थान	अर्नेस्ट मनी	जमानत राशि	न्यूनतम किराया (प्रतिमाँह)
01	ऑचल मिल्क बूथ	दुग्ध अवशीन केन्द्र रुद्रपुर	10000.00	50000.00	10000.00
02	ऑचल मिल्क बूथ	राजकीय चिकित्सालय रुद्रपुर	10000.00	50000.00	15000.00
03	ऑचल मिल्क बूथ	बडी मार्केट पन्तनगर	10000.00	50000.00	15000.00
04	ऑचल मिल्क बूथ	पुरानी तहसील खटीमा	5000.00	25000.00	5000.00
05	ऑचल मिल्क बूथ	एल0डी0भटट चिकित्सालय काशीपुर	5000.00	25000.00	2500.00
06	ऑचल मिल्क बूथ	तहसील गेट सितारगंज	5000.00	25000.00	2500.00

आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्तें

1. यू0सी0डी0एफ0 की वैबसाईट www.ucdfaanchal.org से डाउनलोड निविदा फार्म की जमा धनराशि ₹1000.00 की अतिरिक्त रसीद की मूल या छाया प्रति/बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में मिल्क बूथ/कैफे हेतु निविदा का नाम एवं निविदादाता का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये।
3. निविदा, प्रधान प्रबन्धक ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) के नाम से निविदा पेटी के माध्यम से दिनांक **24.07.2026** को अपराह्न **01.00 बजे** तक प्राप्त की जायेगी, जो कि उसी दिन दिनांक **24.07.2026** को अपराह्न **01.30 बजे** उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख मुख्य कार्यालय खटीमा में निविदा कमेटी द्वारा खोली जायेगी। डाक वितरण में विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।
4. एक निविदा प्रपत्र केवल एक ही बूथ/कैफे की निविदा हेतु मान्य होगा।
5. निविदा फार्म की वित्तीय बिड में ओवर राईटिंग अस्वीकार्य होगी। यदि विषेष परिस्थितियों में वित्तीय बिड के अतिरिक्त ओवर राईटिंग करना आवश्यक हो तो, पूर्व में लिखी गयी लिपि पर कटिंग कर नीचे लिखकर हस्ताक्षर किये जाये। दरों में किसी प्रकार की ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी।
6. निविदा अन्य शर्तें पूर्ण होने पर अधिकतम बोली/दर वाले निविदादाता की स्वीकृत की जायेगी।
7. प्रत्येक निविदा पत्र का लिफाफा बन्द होना चाहिये। सम्बन्धित बूथ/कैफे की अर्नेस्ट मनी उनके नाम के सम्मुख अकिंत अर्नेस्ट मनी, नगद संघ कोषागार में जमा कर मूल रसीद/छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। बैंक ड्राफ्ट जो ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) में देय हो, से भी अर्नेस्ट मनी जमा की जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। चैक, एफ.डी.आर. एवं पूर्व में जमा अर्नेस्ट मनी इस निविदा के साथ मान्य नहीं होगी।
8. निविदादाता द्वारा एक धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) से एक ही निविदा भरी जायेगी। एक धरोहर राशि से एक से अधिक निविदायें भरी जाने पर समस्त सम्बन्धित निविदायें स्वतः निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी
9. निविदा फार्म में स्व-हस्ताक्षरित रंगीन फोटो लगाना अनिवार्य है।
10. निविदा फार्म के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रति, अदेयता प्रमाण पत्र की छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
11. निविदादाता अथवा उनके नजदीकी रिस्तेदार (पति, पत्नी, पुत्र, माता, पिता, पुत्री, बहन, भाई) के बकाया होने की स्थिति में निविदा हेतु अर्नह होगा। निविदादाता द्वारा स्वयं अथवा नजदीकी रिस्तेदार के बकायेदार न होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. संस्था के विपणन अनुभाग के पूर्व/वर्तमान निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र के साथ प्रभारी विपणन एवं प्रभारी वित्त से संतोषजनक कार्य प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता द्वारा बैंक खाते नम्बर की छायाप्रति एक माह के अन्दर उपलब्ध करानी होगी।
14. निविदादाताओं को दैनिक आपूर्ति किये गये आंचल दूध एवं दुग्ध पदार्थों की सम्पूर्ण कीमत नियमित रूप से संघ कोषागार में तदतिथि को ही जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी, इस हेतु निविदादाता वैधानिक रूप से उत्तरदायी होगा, तथा किसी भी निविदादाता द्वारा आंचल दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की बिक्री की धनराशि जमा न करने पर मार्ग प्रभारी/प्रभारी विपणन की संस्तुति के आधार पर प्रधान प्रबन्धक को वैधानिक कार्यवाही (आर0सी0 के माध्यम से वसूली कराने एवं निविदा निरस्त करने) का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

15. निविदादाता को पैकड आंचल दूध एवं दुग्ध उत्पाद कमीशन एजेंट दरों पर उपलब्ध कराये जायेंगे, निविदादाता संस्था द्वारा निर्धारित एम0आर0पी0 से अधिक दरो पर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ बिक्री नहीं करेंगे।
16. मिल्क बूथ/कैफे पर लगने वाले समस्त टैक्स/विघुत बिल का भुगतान निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
17. निविदादाता द्वारा मिल्क बूथ/कैफे में आंचल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के अतिरिक्त अन्य किसी ब्रान्ड का दूध बिक्री नहीं किया जायेगा।
18. निविदादाता द्वारा आंचल दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के समस्त वेरियेन्ट मिल्क बूथ पर सदैव रखने अनिवार्य होंगे, एवं उक्त के अतिरिक्त निविदादाता पनीर पकौडा, ब्रेड एवं ब्रेड पकोडा, समोसा, जलेबी, चाय, कॉफी, पैकड बिस्कुट, पैकड नमकीन, मिनरल वाटर, तथा आंचल दूध एवं दुग्ध पदार्थों से निर्मित आदि सुरक्षित खाद्य सामाग्री संस्था की अनुमति उपरान्त बिक्री किये जा सकते हैं।
19. मिल्क बूथ पर मादक द्रव्य पदार्थ, तम्बाकू, बीडी, सिगरेट, गुटखा आदि नशीले एवं आपत्तिजनक प्रदार्थ रखना एवं बिक्री किया जाना प्रतिबन्धित है।
20. निविदादाता को संस्था से अनुबंध के समय 02 गारंटर भी उपलब्ध कराने होंगे, जोकि निविदादाता के उत्तरदायित्वों के पूर्ण रूप से जमानती होंगे।
21. निविदाओं का निस्तारण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अधीन होगा।
22. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के वारदाना (केन अथवा क्रेट) को एक/दोनों पालियों में पूर्ण रूप से वापस करने का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। क्रेटों की कमी की दशा में कटौती मासिक रूप से सम्बन्धित के भुगतान बिलों से कर ली जायेगी। तदोपरान्त भी क्रेट अथवा केन बकाया होने पर जमानत से वसूली की जायेगी।
23. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त अनुबन्ध की औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने हेतु पत्र जारी किया जायेगा। निविदादाता को जमानत धनराशि संघ कोषागार में पूर्ण रूप में नकद जमा करानी होगी। निविदा स्वीकृत कर लिये जाने पर निविदादाता को संस्था के साथ मु0100 (एक सौ) मूल्य के नान-जूडिशियल स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध करना होगा।
24. अनुबंध की अवधि 01 (एक) वर्ष के लिए होगी। अनुबन्ध समाप्ति तिथि उपरांत संस्था अनुबन्ध की अवधि तीन-तीन माह हेतु दो बार (अधिकतम 06 माह) बढ़ायी जा सकती है, निविदादाता का कार्य सन्तोषजनक होने एवं बकायेदार न होने तथा दुग्ध बिक्री में विगत वर्ष के सापेक्ष 10 प्रतिशत से अधिक बिक्री होने की दशा में अनुबन्ध एक-एक वर्ष हेतु दो बार वर्तमान स्वीकृत निविदा दरो पर बढ़ाया जा सकता है।
25. निविदा स्वीकार होने के उपरान्त निविदादाता को इस संस्था का नाम मात्र का सदस्य बनना होगा।
26. संस्था को बिना कारण बताये, 15 दिन के नोटिस उपरान्त अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा, चोरी करने एवं दूध में मिलावट करने अथवा निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर संस्था को तत्काल निविदा समाप्त करने का अधिकार होगा।
27. यह कि संस्था में कार्यरत कर्मचारी अथवा उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम संख्या 2(ग) के अनुसार किसी कर्मचारी के "परिवार का सदस्य" की निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।
28. निविदादाता को मिल्क पार्लर की साफ-सफाई रखनी होगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा, मिल्क बूथ गन्दे पाये जाने पर सम्बन्धित की निविदा समाप्त कर दी जायेगी।
29. यह कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) में रजिस्टर्ड फर्मों को उत्तराखण्ड शासन की क्रय वरीयता नीति 2019-शासनादेश सं0 1542/असस.3.19/143-उद्योग/2003 दिनांक 20 अगस्त, 2019 की शर्तों के अनुरूप निविदा में छूट प्रदान की जायेगी। पंजीकृत फर्म/निविदादाता को तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा।

30. एक या समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार बिना कारण बताये संस्था के प्रधान प्रबन्धक ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा(ऊधमसिंहनगर) के पास सुरक्षित होगा।
31. किसी भी प्रकार के विवाद में निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियाँ डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) का निर्णय अंतिम मान्य होगा।
- नोट—** उपरोक्तानुसार निविदा के आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्तों को पढ़कर एवं समझकर सहमत होने पर हस्ताक्षर करने के उपरांत निविदा प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

निविदादाता की घोषणा

विपणन अनुभाग की प्रकाशित निविदा सूचना के सन्दर्भ में मेरे द्वारा निविदा फार्म के साथ संलग्न आवश्यक दिशा निर्देशों एवं शर्तों (सम्पूर्ण निविदा फार्म) को भलि-भॉति पढ़ लिया गया है। मैं निविदा की शर्तों एवं निर्देशों के अनुसार मिल्क बूथ/केफे के संचालन हेतु ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,खटीमा (ऊधमसिंहनगर) के साथ अनुबन्ध करने के लिये सहमत हूँ। उपयुक्त पृविष्टियों मैंने स्वयं भरी/भरवाई हैं, और मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सही है। यदि कोई भी सूचना/सूचनायें गलत पायी जाती हैं, जो संस्था को निविदा को निरस्त करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है।

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक

नाम:-

पिता का नाम.....